झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक–रा0आ0आ0 (वाद) 06 / 2020– 620 राँची, दिनांक– 08.10.2020

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।

विषयः– **ग्राम–गुरदी, पंचायत–कबल, प्रखण्ड–छत्तरपुर, जिला–पलामू के श्रीमती सरोज देवी व अन्य कुल 117 कार्डधारियों के मामले में सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विषयांकित वाद में आयोग के ज्ञापांक–520 दि0–10.09.2020 द्वारा दि0–25.09.2020 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु आपको कोर्ट नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त के आलोक में आपके पत्रांक–1494 दि0–25.09.2020 द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से आप उक्त सुनवाई में अनुपस्थित रहे। दि0–25.09.2020 को सुनवाई के दौरान दिये गये आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वाद की अगली सुनवाई दि0–20.10.2020 को निर्धारित की गई है।

अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त निर्धारित सुनवाई में दिनांक–20.10.2020 को 2.00 बजे अपराह्न में जिला प्रबंधक, प्रज्ञा केन्द्र (7677491020) से समन्वय स्थापित कर प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से Online उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अनु0 यथोक्त।

विभवासभाजन

08/10/2020

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–ई–1/8 साकेतनगर (निबंधनकार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्यूक्ति
25.09.20	आज दिनांक–25.09.2020 को श्री रामलाल बैठा एवं अन्य कुल 117 शिकायतकर्ता, ग्राम–गुरदी, पंचायत–कबल, प्रखण्ड–छत्तरपुर, जिला–पलामू से सम्बन्धित मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। जिसमें प्रतिवादी के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित रहे, जिस पर आयोग ने खेद प्रकट किया। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू उपस्थित हुए। प्रतिवादी डीलर भी अनुपस्थित रहे। शिकायतकर्ताओं की ओर से श्री रामलाल बैठा, श्री अजय यादव एवं श्री आंधी प्रसाद यादव व अन्य कुल 117 परिवार उपस्थित थे। प्रथम पक्ष शिकायतकर्ता (ओं) की ओर से श्री रामलाल बैठा और स्वयं श्री रामलाल बैठा द्वारा बताया गया कि लाभुकों को दिसम्बर, 19 से अप्रैल, 20 तक बकाया राशन अब तक नहीं मिला है। डिलर द्वारा ई–पॉस मशीन से निकला पर्ची नहीं दिया जाता है, बल्कि हस्तलिखित फर्जी पर्ची बना कर लाभुकों को दिया जाता है। किसी लाभुक को 4 माह तो किसी को 5 माह का बकाया राशन नहीं मिला है। दिनांक–11.07.2020 को अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी लाभुकों को पंचायत भवन में बुलाया गया था, किन्तु दोनों अधिकारी स्वयं नहीं आए थे। दिनांक–29.07.2020 को अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिना सूचना के पुनः गाँव में आए एवं सभी लाभुकों से सादा कागज में हस्ताक्षर ले लिया गया, तथा लाभुकों को धमकी दी गई कि यदि वे हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो पुलिस बुला लिया जाएगा। श्री आंधी प्रसाद यादव, शिकायतकर्ता का कार्ड उनके परिवार के सदस्य विमला देवी के नाम से निर्गत है, के द्वारा बताया गया कि उन्हें जनवरी, 20 से अप्रैल, 20 तक का बकाया राशन नहीं मिला है। डिलर द्वारा ई–पॉस मशीन का पर्ची नहीं दिया जाता है, हस्तलिखित पर्ची दिया जाता है। डिलर, माँ भवानी स्वंय सहायता समूह, अनुज्ञप्ति सं0–06/13 के सस्पेंड होने के बाद उन्हें दूसरे डीलर के यहाँ से माह मई, 20 से राशन दिया जा रहा है। सभी लाभुकों का कहना है कि वर्तमान में वे जिस डीलर से राशन का उठाव कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में भी उसी डीलर से राशन दिया जाए। लाभुकों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू द्वारा बताया गया कि जाँच के क्रम में अनियमितता के आरोप में डीलर, माँ भवानी स्वंय सहायता समूह को सस्पेंड किया गया था। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, पलामू द्वारा बताया गया कि कोविड–19 के कारण गाँव वाले भीड़ न लगाए, इसलिए उन्होंने पुलिस बुलाने की बात कही थी। शिकायतकर्ताओं से लिये गये बयान एवं जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के पत्रांक–297 दिनांक–14.04.2020 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भेजी गई	

थी। जिसकी एक प्रति उन्होंने आयोग को भी उपलब्ध कराई। अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यों की सराहना की गई।

मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को अप्राप्त है। आदेशित किया गया कि उक्त के आलोक में अब तक की गई कार्रवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन की मांग की जाय। मुखिया निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी भी जवाबदेही तय करने हेतु अगली सुनवाई में उन्हें (मुखिया को) भी नोटिस भेजा जाए।

प्रज्ञा केन्द्र संचालक को आदेशित किया गया कि वे सभी लाभुकों की उपस्थिति विवरणी, डीलर द्वारा दिये गये फर्जी राशन की पर्ची एवं राशन कार्ड, कार्ड संख्या सहित आयोग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएँगे।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे सभी 117 लाभुकों को दिसम्बर, 19 से अप्रैल, 20 तक का बकाया राशन (जिस माह में उन्हें नहीं मिला है) जाँचोपरान्त अगली सुनवाई की तिथि दिनांक – 07.10.2020 से पूर्व उपलब्ध कराएँ अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ता अधिनियम की धारा–8 के तहत प्रति कि0ग्रा0 बकाया अनाज के लिए 39.80 रू0 की दर से दिसम्बर, 19 से अप्रैल, 20 तक का खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान कर आयोग को कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–07.10.2020 को निर्धारित की जाती है।

25.09.2020

(उपेन्द्र नारायण उरांव)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हलधर महतो)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।